

कार्यालय:- जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिंदवाड़ा (म0प्र0)

कमांक-Q-47/जि0न्या0छि0/2020

छिंदवाड़ा दिनांक 27.03.2021

विविध आदेश

(आज दिनांक 27.03.2021 को पारित)

छिंदवाड़ा जिला महाराष्ट्र की सीमा अर्थात् नागपुर से लगा हुआ है। पिछले कुछ दिनों से जिले में कोविड-19 के संक्रमितों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है, ऐसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के एस.ओ.पी. कमांक-ए/113/जबलपुर दिनांक 15.01.2021 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं बी.पी. शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिंदवाड़ा, कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिये दिनांक 31.03.2021 से जिला मुख्यालय, छिंदवाड़ा एवं समस्त तहसील के सिविल न्यायालयों में आगामी आदेश तक निम्नलिखित दिशा-निर्देशों के अध्यक्षीन नियमित रूप से सीमित भौतिक सुनवाई के साथ-साथ वर्चुअल माध्यम से सुनवाई हेतु निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी करता हूँ:-

- (1)- मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट रूल्स, 1961 के नियम 5 तथा माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार समस्त न्यायालय अपने नियमित समय पर कार्य करेंगे।
- (2)- आगामी आदेश तक केवल उन्हीं प्रकरणों में साक्ष्य अभिलिखित की जा सकेगी जो विचाराधीन बंदी से संबंधित हों या जो 3 वर्ष से अधिक समय से लंबित हो अथवा जिनमें माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. या माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शीघ्र निराकरण के निर्देश प्रदाय किये गये हैं।
- (3)- सिविल प्रकरणों में आगामी आदेश तक केवल अत्यावश्यक प्रकृति के प्रकरणों में कमिश्नर के माध्यम से साक्ष्य न्यायालय कक्ष के बाहर अभिलिखित की जा सकेगी, किंतु ऐसे सांपत्तिक प्रकरण जिनमें माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. या माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शीघ्र या समय सीमा में निराकरण के निर्देश दिये हैं, में साक्ष्य कमिश्नर या न्यायालय के माध्यम से अभिलिखित की जा सकेगी।
- (4)- पीठासीन अधिकारी द्वारा सुनवाई हेतु नियत प्रकरणों में 3 वर्ष या उससे अधिक अवधि से लंबित प्रकरण को वरीयता में सुनवाई हेतु लिया जाये। प्रत्येक न्यायालय के पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि एक दिन में अधिकतम 15 प्रकरण से अधिक प्रकरण सुनवाई हेतु सूचीबद्ध नहीं किये जाये तथा उक्त 15 प्रकरण में से अधिकतम 5 प्रकरण (सिविल एवं किमिनल) साक्ष्य हेतु एवं अन्य प्रकरण वाद प्रश्न, आरोप पत्र विरचना, अंतरवर्ती आवेदनों एवं अंतिम तर्क आदि के सुनवाई हेतु नियत किये जायेंगे।
- (5)- प्रत्येक न्यायालय के लिए एक दिन पूर्व सुनवाई हेतु सूचीबद्ध प्रकरणों की सूची (कॉज लिस्ट) का प्रकाशन किया जाना आवश्यक होगा। उक्त कॉज लिस्ट अधिवक्तागण, पक्षकार एवं जन सामान्य के लिये बेवसाईट <http://district.mphc.gov.in/en/causelist> पर उपलब्ध कराई जायेगी।

जिला न्यायालय, छिंदवाड़ा एवं उसकी समस्त तहसीलों में स्थित न्यायालयों में प्रत्येक कार्य दिवस में निम्नलिखित प्रकृति के प्रकरण उपरोक्त बताई गई संख्या अनुसार भौतिक सुनवाई में प्राथमिकता के आधार पर लिये जायेंगे:-

- 01- अपील एवं रिवीजन (सिविल एवं किमिनल दोनों) से संबंधित मामले।
- 02- अण्डर ट्रायल कैदियों से संबंधित मामले।
- 03- 03 वर्ष से अधिक समय से लंबित सिविल एवं किमिनल मामले।
- 04- मोटर यान दुर्घटना दावा प्रकरण, जिनमें साक्ष्य समाप्त हो चुकी है।
- 05- राजीनामा से संबंधित मामले।
- 06- दत्तक ग्रहण से संबंधित मामले।
- 07- ऐसे सिविल एवं आपराधिक मामले जिनमें माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा निर्धारित समय सीमा में निराकरण के आदेश दिये गये हैं।
- 08- मोटर यान दुर्घटना दावा से संबंधित क्षतिपूर्ति जमा राशि के भुगतान से संबंधित मामले।

- 09- धारा 125 द0प्र0सं0 एवं धारा 128 द0प्र0सं0 से संबंधित मामले।
 10- किशोर न्याय बोर्ड से संबंधित मामले।
 11- ऐसे सिविल एवं आपराधिक मामले जिनमें मामले की सुनवाई अर्जेंट प्रकृति की होना प्रतीत हो रहा है।

उपरोक्त प्रकरणों के अतिरिक्त:-

- 1- रिमाण्ड, जमानत एवं सुपुर्दनामा प्रकरण एवं दुर्घटना दावा प्रकरणों में जमा क्लेम राशि से संबंधित मामले पूर्ववत् सुनवाई हेतु लिये जावेंगे।
 2- अन्य अत्यावश्यक प्रकृति के सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों में भी सुनवाई की जावेगी।
 3- सभी समरी प्रकरण उपस्थिति के प्रकरणों को छोड़कर, भी सुनवाई हेतु लिये जावेंगे।
 4- शेष प्रकरणों में सामान्य तिथियाँ नियत की जावेंगी।

नोट:- न्यायालय द्वारा सुनवाई में लिये जाने वाले उपरोक्तानुसार अधिकतम 15 प्रकरणों के अलावा अन्य समस्त प्रकरण जो कि पूर्व से सुनवाई हेतु नियत हैं, उन्हें पीठासीन अधिकारी बोर्ड डायरी अनुसार आगामी तिथि के लिये सुनवाई हेतु नियत करेंगे।

सामान्य निर्देश:-

- (01)- साक्षीगण, पक्षकार एवं अधिवक्तागण की उपस्थिति आदेश पत्रिका में अभिलिखित की जायेगी, किंतु जहाँ कानूनन अनिवार्य हों, वहीं उनके हस्ताक्षर लिये जायेंगे।
 (02)- प्रथम रिमाण्ड के समय अभियुक्त की न्यायालय में भौतिक उपस्थिति अनिवार्य होगी, उसके उपरांत व्ही0सी0 के माध्यम से रिमाण्ड दिया जायेगा। विचाराधीन अभियुक्तों की उपस्थिति जब तक अनिवार्य न हो, रिमाण्ड के माध्यम से की जायेगी।
 (03)- समस्त न्यायालय सामान्य प्रक्रिया के अतिरिक्त सॉफ्टवेयर सी0आई0एस0 एन0सी0-3.2 के माध्यम से समंस जारी करायेंगे एवं प्रकरणों को प्रतिदिन अपडेट करेंगे।
 (04)- जिले के समस्त न्यायालयों में अधिवक्तागण, न्यायिक अधिकारी, पक्षकार एवं स्टाफ के न्यायालय में अंदर आने-जाने के रास्ते इस प्रकार निर्धारित किये जाये कि भीड़ एकत्रित न हो, यह कार्य संक्रमण की रोकथाम एवं निगरानी हेतु गठित कमेटी के द्वारा किया जायेगा।
 (05)- समस्त विद्वान अधिवक्तागण समूह के साथ न्यायालय परिसर/न्यायालय भवन में घूमने व न्यायालय कक्षों में अनावश्यक प्रवेश करने से बचें। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करें।
 (06)- विद्वान अधिवक्तागण से यह अपेक्षित है कि वे पक्षकारों को आवश्यक होने पर ही न्यायालय परिसर/भवन में बुलावे ताकि परिसर में भीड़-भाड़ से बचा जा सके।
 (07)- जिला मुख्यालय छिंदवाड़ा या इसकी तहसील न्यायालयों के क्षेत्र में कर्फ्यू, लॉक डाउन/कंटेन्मेंट जोन घोषित होने पर उस क्षेत्र के न्यायालय का कार्य बंद रहेगा, किंतु अत्यावश्यक प्रकृति के मामले में व्ही0सी0 के माध्यम से कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 को सूचित करते हुये जारी रहेगी।
 (08)- यह सुनिश्चित किया जाये कि केवल ऐसे पक्षकार व अधिवक्तागण को ही न्यायालयों में प्रवेश दिया जाये, जिनके मामलों की सुनवाई उस दिन नियत हो। इस हेतु न्यायालय परिसर के प्रवेश द्वार पर न्यायालयीन स्टाफ की व्यवस्था की जाये।
 (09)- न्यायालय में प्रकरण एक के बाद एक सुने जायेंगे, प्रत्येक सुनवाई के मध्य 2 मिनट का इस्तेमाल सेनेटाईज किये जाने हेतु किया जायेगा।
 (10)- माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 के निर्देशानुसार कोरोना संक्रमण को रोकने के लिये न्यायालय परिसर में स्थित कैंटीन एवं फोटोकॉपी दुकान आगामी आदेश तक बंद रहेंगी।
 (11)- पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि न्यायालय कक्ष में केवल उन्हीं अधिवक्ता, पक्षकार एवं साक्षियों को प्रवेश दिया जाये जिनकी पुकार न्यायालय द्वारा लगाई गई हो, अन्य पक्षकार/अधिवक्तागण सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये अपने प्रकरण की प्रतिक्षा करेंगे।
 (12)- न्यायालय कक्ष में कुर्सी एवं बेंचों को सोसल डिस्टेंसिंग के साथ व्यवस्थित करना पीठासीन अधिकारी सुनिश्चित करेंगे, जिससे सामाजिक दूरी का पालन किया जा सके।

- (13)– न्यायालय कक्ष के बाहर लगाये गये डिस्टले बोर्ड का इस्तेमाल इस प्रकार किया जाये, जिससे कॉज लिस्ट अनुसार सुनवाई में लिये जाने वाले प्रकरण डिस्टले बोर्ड में अधिवक्तागण एवं पक्षकार की सुविधा हेतु प्रदर्शित हो।
- (14)– न्यायालय परिसर में किसी प्रकार का आयोजन अग्रिम आदेश तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
- (15)– इस कार्यालय के द्वारा जारी आदेश क्रमांक क्यू-46/जि0न्या0छि0/2020 दिनांक 17.01.2021 में जो कमेटीयों मुख्यालय छिंदवाड़ा एवं तहसील न्यायालयों के लिये गठित की गई हैं, वे न्यायालय में कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार ही कार्य करेंगी।
- (16)– सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, मास्क लगाने, सेनेटाईजर, साफ-सफाई, न्यायालय में उपस्थिति, बीमारी के लक्षण आदि के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के द्वारा दिनांक 15.01.2021 को जारी एस0ओ0पी0 में दिये गये समस्त निर्देशों के साथ-साथ बिन्दु क्रमांक 11 से 36 तक दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाये। कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम व बचाव हेतु गठित की गई उपरोक्त कमेटी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा एस0ओ0पी0 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पालन कराया जाना सुनिश्चित करें।
- (19)– केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना सभी के लिये अनिवार्य होगा।

sd/-


(बी0पी0 शर्मा)

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
छिन्दवाड़ा

प्रतिलिपि:-

- 1- माननीय रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, जिला छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- अध्यक्ष, तहसील अधिवक्ता संघ, तहसील- सौंसर, पांडुर्णा, अमरवाड़ा, चौरई, परासिया, जुन्नारदेव, हरई, तामिया की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- समस्त न्यायिक अधिकारीगण, छिंदवाड़ा, सौंसर, पांडुर्णा, अमरवाड़ा, चौरई, परासिया, जुन्नारदेव, हरई, तामिया, सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण एवं प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, छिंदवाड़ा की ओर संदर्भित ज्ञापन की प्रति सहित सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 5- जिला दण्डाधिकारी, छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- पुलिस अधीक्षक, छिंदवाड़ा की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे समस्त आरक्षी केंद्र प्रभारियों को सूचना प्रेषित करें।
- 7- आयुक्त, नगर निगम, छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 8- जेल अधीक्षक, छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 9- जिला अभियोजन अधिकारी एवं लोक अभियोजक, छिंदवाड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।
- 10- प्रभारी अधिकारी/सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय छिंदवाड़ा की ओर सभी न्यायिक अधिकारीगण को ई-मेल से सूचित किये जाने एवं जिला न्यायालय की वेब-साईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।
- 11- प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग छिंदवाड़ा की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि न्यायालय परिसर के मुख्य द्वारों पर संलग्न नोटिस चस्पा किये जाने हेतु।
- 12- कोविड-19 के बचाव हेतु गठित कमेटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय छिंदवाड़ा को
- 13- अध्यक्ष, न्यायिक कर्मचारी संघ, जिला न्यायालय छिंदवाड़ा की ओर समस्त कर्मचारीगण को अवगत कराने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

- 14- प्रशासनिक अधिकारी, जिला न्यायालय छिंदवाड़ा की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
- 15- कार्यालय जन सम्पर्क अधिकारी, छिंदवाड़ा की ओर सभी दैनिक समाचार पत्रों में उपरोक्तानुसार समाचार प्रकाशित कराये जाने हेतु प्रेषित।
- 16- प्रस्तुतकार, सत्र न्यायाधीश, छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


(बी०पी० शर्मा)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
छिन्दवाड़ा